

षक,



जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

**प्रबंधक**

आर0एन0इन्टरनेशनल स्कूल,धामपुर,ब्लाक—अल्हैपुर  
जनपद—बिजनौर।

बंक:बेसिक/मान्यता/13004-00/-/2015-16

दिनांक 11/03/16

यः— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोग के

लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2010 के नियम 15 के अनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

होदय/महोदय,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात् वर्ती वाचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से,मैं आर0एन0इन्टरनेशनल स्कूल,धामपुर,ब्लाक—अल्हैपुर(बिजनौर) को दिनांक 04-2016 से दि 03-31-2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से नर्सरी से कक्षा-8 तक लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं—

मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम ,2010. (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय का लोधानेयम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा।ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खातारखेगा। सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या धानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा;
- (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ति ग्रस्त /विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है,परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है,और
- (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट नियाक्रम के सार्वत्र उपलब्ध करेगा।

- (1) विद्यालय के समय शिष्टों की गई प्रयुक्ति निम्नलिखित है  
 विद्यालय परिषद का सोशल फ़ोन 0200 नं. ३००७  
 कून निर्मित गोर ४८९३६ वां गोर  
 कीड़ा रणन का सोशल ७००० वां गोर  
 कन्दाओं की संख्या १२  
 प्राच्यापन राह कार्यालय-सह भवान के लिए कम्या ०४  
 बालक और बालिकाओं के लिए पुस्तक शौचालय-उपलब्ध है।  
 पेगजल रुविशा-उपलब्ध है।  
 मिड-ग्रे गील पकाने के लिए रसीद गोजना लागू नहीं है।  
 बाथ सहित पहुँच है।  
 अध्यापन पठन रागधी/कीड़ा घैलकर उपरकर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता उपलब्ध है।  
 विद्यालय के परिसरों के गोवर गोपनके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गोर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं हैं।
- विद्यालय भवनों या अन्य रारचनाओं या कीड़ा-रथों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- (P) विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सासाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यात्रा किसी लोक द्वारा वलाया जा रहा है। इसका लाभ के लिए किसी विकासी अधिकारी के समूह या समग्र या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए जारी वलाया जा रहा है।
- विद्यालय के लेखाओं की किसी थार्ट एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या .....26 .....है। कृपया इसे गोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संग्राहक का उल्लेख करें।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

मध्यदीय

*20/02/2016*  
 (जयकरन यादव) 11/03  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 विजनौर

- पृष्ठांवेसिक / 2015-16 तददिनांक ।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
- 1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
  - 2-सचिव, उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
  - 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
  - 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
  - 5-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 बिजनौर।